

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सविता

किस्म मुकदमा -88,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री भंवरलाल

पत्रावली संख्या : 94 / 23

जीसीएमएस : 2023 / 299

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 25.10.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्धो का पेश किया। शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्धो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्धो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्धो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्धो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्धो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

